संख्या– 2221 /71–2–2010–397 / 2007

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 26 मई, 2010

विषयः भारत आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय चिकित्सालय एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0, रूड़की रोड, जनपद मुजफ्फरनगर को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1109 / 2010 दिनांक 30.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा–37 (2) के अधीन भारत आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय चिकित्सालय एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0, रूड़की रोड, जनपद मुजफ्फरनगर को स्नातक स्तर पर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 50 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन 01.7.2010 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्था आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–आर 12011 / 26 / 2008–ई0पी0, दिनांक 16.6.2009 में वर्णित शर्तो को अवश्य पूर्ण कर लेगी।

(2) संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों, निर्देशों एवं आदेशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट तथा प्रवेश की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा उ0प्र0 शासन / मा0 कुलाधिपति / विश्वविद्यालय प्रशासन / स्टेट्यूटरी बाडी के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(5) संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।

(6) संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

...2 / –

(7) संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय--समय पर निर्गत होने वाले शासना का पालन करेगी।

(8) संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवसं के उपरान्त ही करायी जायेगी।

(9) संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(10) संस्था भारत सरकार मेनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग/सी0सी0आई0एम0 द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ–पत्र समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुल सचिव को प्रेषित करेगा।

भवदीय,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

संख्या–2221 (1)/71–2–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, ए–रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
2– सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प0, लखनऊ।
5– प्रबन्धक, भारत आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय चिकित्सालय एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0, रूड़की रोड, जनपद मुजफ्फरनगर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।